संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिका/सेल–5/भोपाल/2018/1172 भोपाल, दिनांक 20-6-2018

आदेश

प्रसूता श्रीमती गया बाई पत्नि श्री हल्केराम अहिरवार निवासी बैरसिया जिला भोपाल की दिनांक 16.06.2018 को प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने संबंधी धटना का जांच प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल ने उनके पत्र दिनांक 17.06.2018 के माध्यम से संचालनालय को प्रेषित करते हुये अवगत करवाया गया कि जांच प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ डॉ.वैशाली पाठक द्वारा प्रसूता श्रीमती गया बाई के प्रसव उपचार में एम.पी.टी. एक्ट का उल्लंघन करने संबंधी गंभीर लापरवाही एवं प्रसूता तथा प्रसूता के परिजनों से असंवेदनशीलता का व्यवहार किया जाकर परिजनों से उपचार हेतु राशि 1400/–ली गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा संचालनालय को प्रेषित जांच प्रतिवेदन का सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि डॉ.श्रीमती बैशाली पाठक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया जिला भोपाल ने अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा शासन निर्देशों का पालन न कर स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उपनियम (i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक.एफ.13–31/2004/17/मेडि–1/भोपाल दिनांक 22.04.2006 द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश को प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी बनाया गया है।

अतः डॉ.पाठक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया, जिला भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966, के नियम 9 (1) के अंतर्गत जनहित में उन्हें एतद् आदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में श्रीमती बैशाली पाठक का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ निर्धारित किया जाता है।

डॉ.श्रीमती बैशाली पाठक,स्त्री रोग विशेषज्ञ को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

20/6/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमाक 4/शिका/सेल–5/भोपाल/2018/ 1178 भोपाल, दिनाक 20-6-18

प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. कलेक्टर,जिला भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा,स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल की ओर उनके पत्र दिनांक 17.06.2018 के संदर्भ में स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश को प्रेषित रिपोर्ट के संदर्भ में जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश संबंधित स्त्रीरोग विशेषज्ञ को तामिल कराते हुये तामीली/पावती तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश ।
9. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल/राजगढ़,मध्यप्रदेश।
11. डॉ.वैशाली पाठक स्त्रीरोग विशेषज्ञ,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया जिला भोपाल **द्वाराः**–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
13. आदेश नस्ति।

20/6/18

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश